

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 656/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

असेट री-कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, ऑफिस नं. 1008, 11 वीं मंजिल, वेस्टएंड मॉल,  
जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती प्रवीण बेन्सन पत्नी श्री विनोद बेन्सन,
2. श्री नवीन ओरल बेन्सन पुत्र श्री विनोद बेन्सन,  
पता:- 66, गोविन्दपुरी कॉलोनी, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था जी.ई. मनी कन्ट्रीवाईड कन्जूमर फाईनेन्शियल सर्विसेज (मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड) ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.09.2003 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रवीण बेन्सन के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 66, गोविन्द पुरी कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 150 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 05,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 29.03.2017 को जी.ई. मनी कन्ट्रीवाईड कन्जूमर फाईनेन्शियल सर्विसेज (मेग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड) द्वारा असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एग्रीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.05.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,25,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 23,87,859.35/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.05.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रवीण बेन्सन के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 66, गोविन्द पुरी कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 150 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल वफतार हो।



आदेश आज दिनांक 19.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

40  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलवटर) जयपुर